**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1473**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के**

**विरुद्ध अपराध**

**1473. श्री जोस के॰ मणिः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुए अपराधों, जो बलात्कार या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं, के प्रतिशत संबंधी अद्यतन आंकड़े क्या हैं;**

**(ख) क्या वर्ष 2015 से अब तक इस प्रतिशत में वृद्धि हुई है;**

**(ग) पिछले वर्षों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बलात्कार संबंधी कितने मुकदमें लम्बित हैं; और**

**(घ) ऐसे मामलों में अद्यतन दोषसिद्धि दर क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) और (ख): राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी), अपराधों से संबंधित सूचना अपने प्रकाशन ‘’क्राइम इन इण्डिया’’ में संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2018 तक की उपलब्‍ध हैं। प्रकाशित सूचना के अनुसार, वर्ष 2015 से 2018 के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरूद्ध हुए अपराधों, जो बलात्‍कार और यौन उत्‍पीड़न की श्रेणी में आते हैं, की प्रतिशतता से संबंधित आंकड़े अनुलग्‍नक-। में दिए गए हैं। ये आंकड़े एक समान प्रवृत्ति नहीं दर्शाते हैं।

(ग) और (घ): प्रकाशित सूचना के अनुसार, पिछले वर्षों से विचारण हेतु लंबित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध बलात्‍कार संबंधी मामले और वर्ष 2018 में दोषसिद्धि की दर भी **अनुलग्‍नक-।** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

**-2-**

**रा.स.अता.प्र.सं.1473, दिनांक 04.03.2020**

**अनुलग्‍नक-I**

**वर्ष 2015 से 2018 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध उन अपराधों की प्रतिशतता, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों के तहत बलात्‍कार और यौन उत्‍पीड़न की श्रेणी में आते हैं**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **उन अपराधों की प्रतिशतता, जो बलात्‍कार और यौन उत्‍पीड़न की श्रेणी में आते हैं** | |
| **अनुसूचित जातियों के विरूद्ध** | **अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध** |
| 2015 | 13.3 | 28.2 |
| 2016 | 14.0 | 27.5 |
| 2017 | 13.0 | 27.6 |
| 2018 | 14.1 | 28.6 |

**पिछले वर्षों से विचारण के लिए लंबित मामले (सीपीटीपीवाई) तथा वर्ष 2018 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध बलात्‍कार संबंधी मामलों में दोषसिद्धि की दर (सीवीआर)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **अनुसूचित जातियां** | | **अनुसूचित जनजातियां** | |
| **सीपीटीपीवाई** | **सीवीआर** | **सीपीटीपीवाई** | **सीवीआर** |
| 2018 | 8309 | 29.4 | 3475 | 30.3 |

\*\*\*\*\*